

23650/2017

भाग-5

(इस वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

18. राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग या भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)

की शर्तों पर प्रति की जाते हैं

तिथि.....  
स्थान.....

27/1/18

हस्ताक्षर  
नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर

  
27/1/18  
Pankaj Misra  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act, 1980  
U.P. Lucknow